समाचारपत्रों के पंजीकरण की क्या आवश्यकता है;

(ग) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय को बंद न करने के क्या कारण हैं;

(घ) "नाम" प्रदान करने के बाद पंजीकरण करने में भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा पत्रकारों को परेशान करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) यदि एक नाम किसी पत्रकार के पास है तो क्या वह भारत में किसी और स्थान पर इसकी घोषणा नहीं कर पाएगा; और

(च) दूसरे राज्यों में स्थापित कार्यालयों द्वारा घोषणा करने में समस्याएं पैदा करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा इच्छुक प्रकाशक द्वारा प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के नियमों के तहत संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के जरिए उनको पत्र लिखने पर ही प्रस्तावित शीर्षकों की उपलब्धता का सत्यापन किया जाता है । इस प्रकार, शीर्षक प्रदान करते समय उनका समाचारपत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है।

(ख) प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में समाचारपत्रों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है । तथापि, केवल पंजीकृत समाचार पत्र ही सरकार द्वारा दी जाने वाली केन्द्रीय/राज्य सरकार विज्ञापन, डाक छूट, दूरभाष सुविधा प्रत्यापन आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं के पात्र हैं ।

(ग) मुख्यत: भारत में प्रकाशित समाचारपत्रों के विनियमन तथा पंजीकरण हेतु ही प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 19क के अंतर्गत भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय का सृजन किय गया था । भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा इन सांविधिक कार्यों को अब भी निष्पादित किया जा रहा है ।

(घ) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा प्रकाशकों को तंग नहीं किया जाता है । कई मामलों में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकरण हेतु अधूरे आवेदन भेजे जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप संकर संवादिता होती है तथा पंजीकरण में विलम्ब होता है । प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में निर्धारित सभी अपेक्षाओं के पूरा होते ही तत्काल पंजीकरण कर दिया जाता है ।

(ङ) प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अंतर्गत उस जिला अथवा उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा की जानी अपेक्षित होती है जिसके स्थानीय न्यायाधिकार क्षेत्र से संबंधित समाचारपत्र मुद्रित अथवा प्रकाशित किया जाएगा ।

(च) समाचार पत्र के प्रकाशक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होती है न कि भारत के समाचरपत्रों के पंजीयक के क्षेत्रीय कार्यालयों की अत: घोषणा में भारत के समाचरपत्रों के पंजीयक के क्षेत्रीय कार्यालयो द्वारा समस्याएं पैदा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Dee's Home Shopping Club

6994. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that "Dee's Home Shopping Club" programme which is a purely business and commercial programme, it telecast daily at 12.00 noon for one hour on DD-2;

(b) if so, who is the owner of the said club and what are his antecedents;

(c) how much money is charged from the owners of the said club per telecast;

(d) what amount is charged from others for different programmes of same duration on DD-2; and

(e) whether DD-2 is thus promoting business interests of a particular individual, when and at what level the decision to allow such programmes on Doordarshan was taken?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) No, Sir. The programme is of half an hour duration on Saturdays and Sundays and one hour duration on the remaining days.

(b) The programme is produced by a private limited company registered under the name of Dee's Marketing Pvt. Limited, New Delhi.

(c) under the agreement, Doordarshan is paid a telecast fee of Rs. 5000/- per half an hour in addition to 50 per cent of the revenue earned from the programme.

(d) The sponsorship fee for half an hour slot on DD-2 varies between Rs. 2.6 lakhs to Rs. 20 thousand

(e) No Sir. The programme is being telecast with the approval of the Competent Authority.

Providing C Band system in Gujarat

6995. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what is the number of Doordarshan channels at present functioning in Gujarat State;

(b) whether Government propose to provide "C" Band System facility in the State; and

(c) if so, by when the "C" Band System facility is likely to be provided in the State?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) Besides DD-1 (Primary National channel) and DD-2 (Regional Service in Gujarat) which are available terrestrially in the service area of all the transmitters functioning in the State of Gujarat, DD-2 service is being relayed by terrestrial transmitters functioning at Ahmedabad and Gandhinagar. However, all the channels of Doordarshan are available for viewing with the help of a suitable dish antenna system in all parts of Gujarat.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

ताप और गैस आधारित विद्युत संयंत्र

6996. **श्री रामजी लाल :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितने-कितने ताप और गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए या परिचालन हेतु उनका उद्घाटन किया गया ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप देश में कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने जा रहा है ; और

(ग) क्या इनसे उत्तरी भारत में भी विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) से (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992-93,